न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी. मेहरड़ा, आर0ए0एस0

अपील संख्या :–337/2016(2016/00337)/225/अजमेर

1. किशन सिंह पुत्र मल्ला जाति रावत,
2. बाल सिंह पुत्र मल्ला सिंह जाति रावत, समस्त निवासीगण ग्राम मदारपुरा तहसील व जिला अजमेर ।
3. श्रीमती शांति बाई पुत्री मल्ला सिंह पत्नि रामसिंह जाति रावत निवासी मदारपुरा तहसील व जिला अजमेर ।
4. श्रीमती मोहिनी पुत्री स्व. मल्ला सिंह पत्नि मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी मदारपुरा तहसील अजमेर हाल निवासी भवानीखेड़ा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर ।
5. रामसिंह पुत्र स्व. मल्ला सिंह जाति रावत निवासी ग्राम मदारपुरा तहसील व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. नगर सुधार न्यास, अजमेर जरिये सचिव वर्तमान अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर जरिये सचिव अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी,अजमेर दिनांक 29.06.2016, प्रकरण संख्या 24/2015

उपस्थितः–

1. श्री निर्मल कुमार जैन अपीलांटस की ओर से।
2. श्रीरामकिशोर खदाव, एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से।

आदेश

दिनांकः 28.9.2018

01. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 29.06.2016 के विरूद्ध प्राप्त हुई हैं।

02. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि शामलतदेह आराजी थोक मालियान, अजमेर का विभाजन अजमेर लैण्ड रेग्यूलेशन 1877 की धारा 8 के प्रावधानो के अनुसार समस्त खेवटदारान थोक मालियान, अजमेर के द्वारा तत्कालीन तहसीलदार एवं रेवेन्यू ऑफिसर अजमेर की स्वीकृति से दिनांक 11.12.1941 को हुआ था जिसके अनुसार रामसुख व कालू व मांगीलाल व मोहनलाल पुत्र देवी, किस्तुरा व भूरा पिसरान चैना व नन्दा पुत्र सुख जाति माली निवासी अजमेर के हिस्से में विवादित भूमिया प्राप्त हुई जिनके तीस साला खसरा नम्बर 4522 रकबा 5–19–00 के चालीस साला खसरा नम्बर 4849, तीस साला नम्बर 4523 रकबा 1–6–00 के चालीसा नम्बर 4850, तीस साला नम्बर 4525 रकबा 1–00–10 के चालीसा खसरा नम्बर 4852, तीस साला खसरा नम्बर 4526 रकबा 0–14–00 के चालीसा नम्बर 4853 एवं तीस साला खसरा नम्बर 4532 रकबा 6–16–10 के चाली साला नम्बर 4864 बने है। विवादित भूमियां अपीलांट के पिता मल्ला सिंह पुत्र भूरासिंह जाति रावत के विक्रेतागण को शामलात देह कमेटी के बंटवारा के समय प्राप्त हुई थी। अपीलांट के पिता ने विक्रेतागण से जरिये पंजीकृत बैनामा दिनांक 05.

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

06.1961 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया हैं तथा मल्ला सिंह के द्वारा मौके पर भारी सुधार कर काश्त की जाती रही तथा मल्लासिंह के स्वर्गवास के बाद अपीलांटस विवादित आराजियात पर काबिज काश्त चले आ रहे है परन्तु वर्तमान जमाबंदी में विवादित आराजियात रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम दर्ज कर दी गई जबकि राजस्व अधिकारियों को इस प्रकार का इन्द्राज किये जाने का कोई अधिकार नही था। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उक्त गलत इन्द्राज की आड़ में प्रार्थीगण/अपीलांटस को विवादित आराजियात से बेदखल करने पर आमादा हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। विद्धान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 29.06.2016 द्वारा प्रार्थीगण/अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को अपास्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के इस आदेश से असतुंष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं ।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया तत्पश्चात अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. अभिभाषक अपीलांटस ने अपील मीमो में उल्लखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विवादित आराजियात पर अपीलांअ का वर्षो से कब्जाकाश्त चला आ रहा हैं। विवादित आराजियात पर अपीलांटस का वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। विवादित आराजियात अजमेर थोक मालियान, अजमेर में स्थित है जिसे शामलात देह आराजी थोक मालियान, अजमेर का विभाजन अजमेर लेण्ड रेग्यूलेशन 1877 की धारा 8 के प्रावधानो के अनुसार समस्त खेवटदारान थोक मालियान अजमेर के द्वारा तत्कालीन तहसीलदार एवं रेवेन्यू ऑफीसर अजमेर की स्वीकृति से दिनांक 11.12.1941 को हुआ था कि जिसके अनुसार रामसुख व कालू व मांगीलाल, मोहनलाल पुत्रगण देवी, किस्तुरा व भूरा पिसरान चेना एवं नन्दा पुत्र सुखा जाति माली निवासी अजमेर के हिस्से में अपीलाधीन भूमि प्राप्त हुई जिसे अपीलांटस के पिता मल्लासिंह पुत्र भूरा सिंह रावत के द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 05.06.1961 को खरीद की गई एवं कब्जा प्राप्त किया। उक्त क्रय के पश्चात अपीलांटस के पिता मल्ला सिंह का तथा उनके स्वर्गवास के बाद अपीलांटस का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। विवादित भूमियों के अपीलांटस बापोती समय से कब्जा काश्तकार होकर खातेदार हैं किन्तु राजस्व कर्मियों ने बिना किसी अधिकार के विवादित आराजियात को राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज कर दिया तत्पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम दर्ज कर दी। अपीलांटस का विवादित आराजियात बाबत् अधीनस्थ न्यायालय में खातेदार एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद लंबित हैं जिसके विचाराधीन रहते विवादित आराजियात की सुरक्ष हेतु एवं बेवजह वाद बढ़ने की रोक–थाम हेतु मूल वाद के निर्णय ते अप्रार्थी को पाबंद किया जाना आवश्यक था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की हैं। विद्धान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 19.05.2016 नियम थी किन्तु पत्रावली राजस्व कैम्प के समक्ष दिनांक 22.06.2016 का रखी गई किन्तु इस सम्बन्ध में अपीलांटस को किसी प्रकार की सूचना अथवा नोटिस नही दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के तीन मुख्य बिन्दु यथा सुविधा का सन्तुलन, प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं आर्थिक नुकसान के बिन्दुओं के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया जबकि धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के तीनों बिन्दुओं का निस्तारण किया जाना आवश्यक हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना कैम्प में अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

विधि सम्मत नहीं माना जा सकता हैं। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधीनस्थ नयायालय का आदेश निरस्त किया जावें तथा प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट को मूल वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ नयायालय का आदेश विधि सम्मत है। विवादित आराजियात सिवायचक दर्ज होने के उपरांत नगर सुधार न्यास, अजमेर को हस्तांतरित की गई हैं। विवादित आराजियात रेस्पोडेनट की जे.पी.नगर योजना में सम्मिलित हैं। अपीलांटस दस्तावेजी साक्ष्यों से विवादित आराजियात पर अपना कब्जा काश्त साबित करने में असफल रहे हैं। अतः अपील अपीलांट अपास्त की जावें।

6. अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन भूमि जो कि पूर्व में अपीलार्थीगण की बापोती कृषि भूमि रही हैं तथा वर्तमान जमाबंदी में गलत इन्द्राज किया गया के संदर्भ में अपीलांटस/वादीगण के द्वारा संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं ऐसी अवस्था में मूल वाद के विचाराधीन रहते हुए अपीलाधीन भूमि की सुरक्षा एवं बेजवह विवाद बढ़ने की रोक हेतु धारा 212 राज0काश्तकारी अधिनियम का प्रावधान किया गया। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण/अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना राजस्व लोक अदालत कैम्प में अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निसतारण किया गया है जो विधि सम्मत नही हैं। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकरी, अजमेर के आदेश दिनांक 29.062016 को निरस्त किया जाता हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनिमय पर उभयपक्षों को जवाब व सुनवाई का मौका देकर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का उल्लेख करते हुए विस्तृत निर्णय पारित करें। मिसल बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

28/9/18

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

आदेश आज दिनाक 28.9.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

28/9/18

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर